

दर आमन्त्रण

वरिष्ठ प्रबन्धक जल खण्ड-द्वितीय के कार्यक्षेत्र नौएडा सैक्टर-29 में आर0सी0सी0 का अपर जलाशय (Over Head Tank) क्षमता 2000.00 कि०ली० जोकि जमीन से लगभग 35.00 मीटर स्टेजिंग तथा भूमिगत लगभग 3.00 मीटर की संरचना निष्प्रयोज्य है को पूर्णतः खण्डित (Demolish) करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम विशेषज्ञों से कार्य के निष्पादन हेतु दरें सभी सरकारी करों सहित प्राप्त करने के लिए प्रकाशन किया जा रहा है। जलाशय R.C.C. Structure, जैसे- कॉलम, ब्रेस, कॉन वाल, टॉप डोम, बॉटम डोम एवं नींव सहित इसका व्यास लगभग 30.00 मीटर का है तथा C.I. के Inlet-Outlet, Sluice valve लगे हैं। दरों में संरचना को तोड़ते समय संरचना के चारों ओर सुरक्षा को दृष्टिगत आवश्यक Steel Scaffolding एवं Shuttering का व्यय एवं माननीय न्यायालय, एन0जी0टी0 के नियमों का पालन करते हुए, सुरक्षा एवं पर्यावरण के दृष्टिगत सभी उपाय किये जाने में होने वाले व्यय सम्मिलित होंगे। संरचना को Dismantle के पश्चात् जो निष्प्रयोज्य सामान होगा उसका स्थल से Disposal निर्देशानुसार करने का व्यय भी दर में शामिल होगा एवं इसके अतिरिक्त Inlet, Outlet, Flushing Pipe, Sluice valve, Reflex valve एवं Scrap Steel आदि जो भी प्रयोग की जाने वाली सामग्री होगी। वह Dismantle करने वाली संस्था का होगा, को दृष्टिगत करते हुए एक जॉब हेतु दर आपेक्षित है। अतः दिनांक: 10.02.2020 तक कार्य हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं से मोहरबन्द दर, उप महाप्रबन्धक (जल) के कार्यालय सैक्टर-5, नौएडा, प्रबन्धक (तकनीकी) को सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना आपेक्षित है।

कार्यालय: उप महाप्रबन्धक (जल)
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड सैक्टर-5
नौएडा

(बी० एम० पोखरियाल)
उप महाप्रबन्धक (जल)
नौएडा

टिप्पणी

पेज संख्या (03)

कृपया एन0एस0-1 पर विशेष कार्याधिकारी (टी) महोदय द्वारा की गयी टिप्पणी के कम में से अवगत कराना है कि सैक्टर-29 में 38 मीटर ऊँची अपर जलाशय (Over Head Tank) के Dismantle के सम्बन्ध में आख्या पुनः से निम्न प्रकार है:-

- 1 सैक्टर-29 में 2500 K.L. क्षमता का एक अपर जलाशय अक्रियाशील है तथा इस अक्रियाशील जलाशय द्वारा विगत कई वर्षों से जलापूर्ति नहीं दी जा रही है क्योंकि इस अपर जलाशय की हालत काफी जर्जर है तथा यह मरम्मत कर क्रियाशील करने के योग्य भी नहीं है।
- 2 दिनांक 25.08.19 को उप महाप्रबन्धक (जल) एवं विशेषकार्याधिकारी (टी) महोदयों द्वारा इस अक्रियाशील अपर जलाशय का संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान इस अक्रियाशील अपर जलाशय को पूर्णतः क्षतिग्रस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु इस अपर जलाशय के आस पास गंगा शॉपिंग परिसर में कुछ तकनीकी संयंत्र भी लगे हुए हैं एवं इसी जलाशय के आस पास पूर्व एवं वर्तमान सेना अधिकारियों के आवास भी बने हुए हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए इस अक्रियाशील अपर जलाशय को पूर्णतः क्षतिग्रस्त करने के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जाना उचित होगा ताकि किसी तरह की जनमानस की हानि न हों। यह अपर जलाशय जमीन से लगभग 35 मीटर ऊपर तक है। इस प्रकार के कार्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कभी नहीं कराये गये हैं। इस अपर जलाशय को सैक्टर-28 एवं 29 की जलापूर्ति हेतु लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाया गया था।


अतः इस विषय में उचित होगा कि Wide Publication के माध्यम से विशेषज्ञों का चयन कर इसे Dismantle करने की दर प्राप्त कर ली जायें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में Wide Publication करने का अनुमोदन करना चाहे ताकि विशेषज्ञों से दर प्राप्त कर इस विषय में उचित कार्यवाही की जा सके।



वरिष्ठ प्रबन्धक (जल-11)

उप महाप्रबन्धक (जल)



ACCEPT (5)

CEO

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस)


Chief Executive Officer
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस)

20/11/19
(राकेश कुमार)
प्रबन्धक जल-11

21/11/19
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
वरिष्ठ प्रबन्धक
जल खण्ड-द्वितीय, नोएडा

21.11.19
DGM (JAL)

25/11
अविनश त्रिपाठी
विशेष कार्याधिकारी (टी)
नोएडा



22/11/19
OSD (J)